सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 11/2017/881 /अडतीस-7-2017-1222/एसीएस/आरडी/2017

प्रेषक,

एन0एस0रवि,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 29 जून, 2017**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जल संचयन के उददेश्य से मृतप्राय नदियों, झीलों व सामुदायिक तालाबों के पुनरूद्धार/जीर्णोद्धार के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जल संचयन के उददेश्य से मृतप्राय नदियों, झीलों व सामुदायिक तालाबों के पुनरूद्धार/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाना एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव वाला अवयव है। इस कार्य से जहां एक ओर जल स्तर में वृद्धि होगी, पर्यावरण संरक्षण होगा वहीं दूसरी ओर श्रमिकों को लम्बी अवधि तक रोजगार प्राप्त हो सकेगा और स्थायी परिसम्पत्तियां भी सृजित होंगी।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जल संचयन के उददेश्य से मृतप्राय नदियों, झीलों व सामुदायिक तालाबों के पुनरूद्धार/जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने के उददेश्य से अपने जनपदों में कम से कम एक-एक परियोजना चिन्हित कर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(एन0एस0रवि)
अपर मुख्य सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-11/2017/881 (1)/अड़तीस-7-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त का अनुपालन समस्त जनपदों में सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें तथा अभियान चलाकर उक्त से संबंधित कार्ययोजना आगामी 10 दिन में तैयार कराकर उसे कार्यान्वित कराने और कार्ययोजना शासन को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।